तक रास्ता खुलता नहीं है । किसी-किसी दिन, दिन भर रास्ता बंद रहता है, जिससे सिटी के अंदर आने वाले देहात के लोगों को अपनी तारीख-पेशियों के लिए कोर्ट में जाएं, तो उसमें लेट हो जाते हैं, तारीख पर पहुंच नहीं पाते हैं ।

ऐसी स्थिति के बारे में बार-बार रेलवे मंत्री जी से भी निवेदन किया गया है । या तो आप इस फाटक के ऊपर एक ओवरब्रिज बना दें, जिससे कि यातायात के साधन के आने-जाने में और जनता को हो रही परेशानी से छुटकारा मिल सके, या आप बाई-पास बनवा दें, जिससे जनता को जो उस फाटक से परेशानी हो रही है, क्योंकि पश्चिमी रेलवे की एक मुख्य जो लाईन है, बम्बई-दिल्ली, वह हिंडोन होकर जाती है और यह फाटक इस लाईन पर है ।

इसलिए मैं सरकार का ध्यान पुन: आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि आप इस ओवरब्रिज की ओर ध्यान दें या बाई-पास को निकालने की ओर ध्यान दें ।

मेरा इतना ही निवेदन है । धन्यवाद ।

Alleged espionage by Pakistani agents in collusion with Uttar Pradesh Government Officials

श्री राम रतन राम (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बड़े ही सनसनीखेज़ समाचार पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें देश की सुरक्षा का संबंध है । यों तो इस समय काफी स्कैण्डल्ज़ की सूचना मिल रही है, लेकिन जब देश की सुरक्षा के बारे में कोई ऐसी घटना होती है और वह शख्स जब सरकार की मशीनरी के हर सर्किल में घूमता है और उसको प्रभावित करता है तो यह बात चौंकाने वाली होती है।

मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय सहारा के दैनिक पत्र दिनांक 27-7-93 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें इसने यह सूचना दी है कि भारतीय खुफिया ब्यूरो के आदेश पर यू. पी. खुफिया एजेंसी ने श्रीमती परवीन आजाद के कृत्यों पर प्रकाश डाला है । परवीन आजाद के पिता सुल्तान अहमद सन् 1949 में भारत की यू. पी. जुडीशियल सर्विस में थे । लेकिन उनके नाजायज़ फलसफों के कारण उनको डिसमिस किया गया और वे पाकिस्तान चले गए, जहां आई. एस. आई. में वे काम करने लगे, सम्बद्ध हो गए । सन् 1965 की वार में वे भारत आए और बरेली में उनको जासूसी के आरोप में पकड़ा गया । उन पर मुकदमा चला और उनको ढाई साल की सजा हुई । सजा खत्म होने के बाद उनको पाकिस्तान भेजा गया । पुन: सन् 1971-72 की लड़ाई में वह भारत आए और फिर जासूसी करने लगे । पुलिस ने फिर उनको पकड़ा और मुकदमा चलाया और ढाई साल की सजा हुई । सजा खत्म होने के बाद उनको पाकिस्तान भेजा गया लेकिन पता नहीं क्यों 1985-86 में दो बार जासूसी के आरोप में गिरफ़्तार होने वाले व्यक्ति को कौन-सी दया बरती गई कि उन्हें पुन: भारत आने की स्वीकृति मिली ? 1985-86 में वे यहां आए । बाराबंकी में उनका मुस्लिम इलाकों में प्रवेश हुआ और वहां पर उन्होंने भीषण गायट कराया और उसके बाद वहां से पाकिस्तान चले गए । वह अपने परिवार को बदायूं में छोड़ गए हैं । उनके पुत्र शाहजहां सुल्तान की शादी जे. के. एल. एफ. काश्मीर का जो एक महत्वपूर्ण आतंकवादी संगठन है, उसके एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की लड़की से हुई है । यह परवीन आजाद यू. पी. भवन के यू. पी. सरकार के विशेष अधिकारियों के साथ घूमती हुई, होटलों में जाती हुई, विमान पर सैर करती हुई देखी गई हैं । ऐसे लोगों के साथ खास करके हमारे जो इसमें नाम दिया हुआ है गवर्नर के एडवाइज़र का तो उनके साथ में विमान में सैर करती हैं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : Madam, I would like to point out that the Governor's Advisers' names are mentioned without any opportunity for them to defend themselves. I don't think it is proper.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ठीक कह रहे हैं आप, बिना नाम लिए कोई भी बात करें, किसी का भी नाम, वह व्यक्ति जो अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकता सदन में उसका नाम न लें ।

श्री राम रतन राम : ठीक है ।

यह परवीन आजाद दो बार लंदन गई हैं । जे. के. एल. एफ. के दफ़्तर में देखी गई हैं । ऐसे व्यक्ति के साथ, अगर यह ऐसी शख्सियत यू. पी. गवर्नमेंट के उच्चाधिकारियों के साथ घूमती है तो क्या यह हमारे लिए सुरक्षा का प्रश्न नहीं बनता ? दूसरी बात यह है कि यू. पी. के खुफिया विभाग ने केन्द्रीय सरकार के खुफिया विभाग को जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ? मैं इसकी मांग करता हूं कि रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत किया जाये । धन्यवाद ।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्यमंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : उपसभाध्यक्ष महोदया, किसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करना ठीक नहीं ।

उपसभाध्यक्ष : नहीं, व्यक्तिगत जीवन की चर्चा नहीं कर रही हैं । आपने सुना नहीं ।

श्रीमती कृष्णा साही : उन्होंने कहा कि कहां घूमती है, कहां जाती हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : नहीं-नहीं, वह देश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं । आपने पूरा सुना नहीं । ठीक है ।

Alleged atrocities on a Sikh family at Mughalsarai Railway station

श्री इकबाल सिंह (पंजाब) : मैडम वाइस चैयरमन, मैं

इस विशेष उल्लेख के माध्यम से पुलिस अधीक्षक श्री अनुपसिंह तथा उनके परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

मैडम, यह बड़े दुख की बात है कि हालांकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन है, लेकिन वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है । कानून-व्यवस्था की स्थिति वहां बिगड़ गयी है और राज्य में लफसरशाही का बोलबाला है । आम जनता जो रेल आदि में सफर करती है, उसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और रेलवे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं । मैडम, 12 जुलाई, 1993 की बात है । उस रोज पुलिस अधीक्षक श्री अनुपसिंह व उनका परिवार ए० सी० कम्पार्टमेंट में सफर कर रहे थे । उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी बेटी, डाटर-इन-लॉ, सन-इन-लॉ, बेटा और एक बच्चा था । जब वह सफर कर रहे थे तो मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर कुछ गुंडा तत्व और अपराधी किस्म के लोग जो उस स्टेशन पर थे, उस ट्रेन में आ गए । उन गुंडों को यह पता नहीं था कि इस परिवार में उनकी बेटी के साथ, उनकी डाटर-इन-लॉ के साथ उसके फादर और फादर-इन-लॉ सब बैठे हुए हैं, उन गुंडा तत्वों ने लेडीज के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और जब उस परिवार ने अपने को बचाने की कोशिश की, अनुप सिंह जी ने उनको रोका तो उन्होंने उन पर लाठियों से हमला कर दिया । मैडम, यह एक बड़े दुख की बात है कि उन अपराधी तत्वों ने मनहास परिवार पर एक घंटा नहीं 8 घंटे तक रेल में बदमाशी की बातें कीं, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया जबकि वहां पर एक एस०आई०, हवलदार और एक दूसरा आदमी पुलिस की वर्दी पहने मौजूद था ।

मैडम, यह पेपर पंजाब से निकलता है जिसमें कि इस घटना के विषय में छपा है और उनका फोटो दिया है और बताया है कि कैसे एक आय० पी० एस० अफसर, पुलिस अधीक्षक को मारा गया और किस ढंग से वह खून ही खून से लथपथ हो गए । यह "उत्तम हिन्दू" पेपर है जिसने इस बारे में आर्टीकल लिखा है कि किस ढंग से अपराधी तत्वों ने तांडव किया और किस ढंग से इस परिवार के लोगों को तंग किया गया । मैडम, मेरे कहने का भाव यह है कि उस समय जो पुलिस ड्यूटी पर थी उसने इस घटना के प्रति उचित ध्यान नहीं दिया । दूसरे, जब गाड़ी खड़ी कर दी गयी तो रेलवे ऑफिसर या जो भी उस ट्रेन का इंचार्ज था उसे पता होना चाहिए था कि गाड़ी क्यों खड़ी की गयी ? हालांकि जब उस परिवार पर हमला किया गया तो उस समय जो दूसरे लोग डिब्बे में थे उन्होंने उस परिवार का साथ दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही काशी के बाद और मथुरा से दो किलोमीटर पहले गाड़ी फिर खड़ी की गयी । उसमें से 15-20 नौजवान नीचे उतरे और अपने गांव में गए तो उस परिवार ने सोचा कि हम बच गए । उन्होंने दरवाजे दोनों तरफ से बंद किए हुए थे, लेकिन उसके एक घंटे के बाद भी गाड़ी नहीं चलायी गयी और गाड़ी से उतरे हुए नौजवानों ने मीटिंग की और वहां से उसी ढंग से लाठियां, सरिया वगैरा लेकर आए और दरवाजा व जितने शीशे तोड़ने थे, वह सब कुछ किया । मैडम, उसके बाद सबसे खतरनाक बात यह हुई कि उन अपराधियों ने डिब्बे को जलाने की कोशिश की । मैडम, जब यह सब हो रहा था तो ट्रेन का जो इंचार्ज ऑफिसर था उसको और पुलिस को चाहिए था कि वह इतने समय में हालात को कंट्रोल कर लेते । लेकिन उनकी खुशकिस्मती थी कि एक घंटे के बाद बनारस से वहां पुलिस अधीक्षक, मजिस्ट्रेट, वह सब लोग आ गए । इस बीच जो सरदार अनुपसिंह, जिनका परिवार साथ था, उनको इतनी चोट लग गई थी कि उन्होंने पहले फायर करके भगाया भी, क्योंकि जब वह लोग आग लगाने लगे तो इन्होंने फैसला कर लिया कि जब आग लगाकर इन्होंने मारना है तो क्यों न अपने आपको बचाने के लिए तैयार किया जाय । तो इस तरह उन्होंने भगाने की कोशिश की । उनकी मिसेज ने बकायदा तौर पर मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को दिखाया कि यह मेरे हसबेण्ड हैं, एक पुलिस अधीक्षक है, आई० पी० एस० हैं और इनके साथ यह व्यवहार हुआ है । इधर उन्होंने अपने ग्रांडसन, जो कि दो साल का था, उसको तथा जो पैसे थे, नगदी थी, उन्होंने एक रिटायर्ड कर्नल को उस डिब्बे में दे दिया ताकि अगर मर जाएं, खतम हो जाएं तो यह हमारे घर में हमारा बेटा छोटा चला जाए और यह पैसे काम आएं ।

महोदया, मेरे कहने का भाव यह है कि जब ऐसी हरकत हुई तो वहां पर जो रेलवे डिपार्टमेंट के आफीसर थे, जो वहां पर पुलिस आफीसर थे, उन्होंने क्या किया ? अगर वहां मथुरा से पुलिस न आती, मजिस्ट्रेट न आता तो आग भी लग सकती थी और यह सारा काम आठ घंटे तक चलता रहा । . . . **(व्यवधान)** . . .

एक माननीय सदस्य : मथुरा से या बनारस से ?

श्री इकबाल सिंह : बनारस से । . . . **(व्यवधान)** . . . मैंने पहले बताया कि स्टेशन से दो मील पहले ट्रेन रूकवाई गई । मेरा कहना यह है कि जो वहां पर ऐसा काम हुआ है, उसकी एक तो सबको निन्दा करनी चाहिए और दूसरे मैं यह चाहता हूं कि इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए, जो पुलिस आफीसर वहां पर थे और जो रेलवे आफीसर वहां पर थे उनकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसी कोई घटना न हो, जिससे कि ऐसे परिवार खतम हो जाएं । मैं यह पेपर साथ दे रहा हूं, उनकी फोटो साथ दे रहा हूं । मैं स्पेशली इस परिवार से जाकर मिला भी हूं, उसकी मिसेज से मिला हूं, उसकी ग्रांड डाटर से मिला हूं, उसकी लड़की से मिला हूं और सारा देखने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण । यह स्पेशल मेंशन दो लोगों के नाम है । . . . **(व्यवधान)** . . .

एक माननीय सदस्य : हम लोग एसोसिएट करते हैं । . . . **(व्यवधान)** . . .

उपसभाध्यक्ष : यह विशेष उल्लेख दो सदस्यों के नाम पर है । इसलिए पहले उन दोनों को बुलवा लूं, फिर जो लोग संबद्ध

करना चाहेंगे उनके नाम पुकारूंगी ।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंजाब) : मैडम साहिबा, मैं आप का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बोलने का मौका दिया । मुझसे पहले जो कुछ भाई साहब ने कहा, इसकी ताईद करता हूं और समझता हूं कि इस घटना की पुरजोर निन्दा होनी चाहिए । इसके बाद जो भी आफीसर इस गाड़ी में थे या पुलिस वाले थे, उनके खिलाफ जुडिशियल इन्क्वायरी करने के बाद उनको जरूर सजाएं देनी चाहिए । जब एक आई॰ पी॰ एस॰ आफीसर, जो हमारे विजिलेन्स का जालंधर में एस॰ पी॰ तैनात था और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बाहर घूमने गया था, उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हालत होगी, जो पंजाब से बाहर जाएगा ?

पुलिस वालों के साथ खाली यही वाकया नहीं हुआ । अभी हमारा एक पी॰ एस॰ आई॰ जो जालंधर में तैनात था, जिसका नाम सुखचेन सिंह था और वह हरियाणा का रहने वाला था, वह अहमदाबाद, गुजरात में पहुंचा । वहां किसी टेररिस्ट की तलाश में वह था । आप यहां पर उन्होंने घेरा डाला, वहां की पुलिस को इत्तला भी दी, लेकिन वहां उस स्टेट की पुलिस ने उनकी मदद नहीं की और वह बेचारा वहीं खतम हो गया । ऐसे ही हमारे सात-आठ और पुलिस वाले हैं, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है । तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैडम साहिबा, कि अगर ऐसा हमारे पुलिस वालों के साथ होता रहा तो कैसे चलेगा ?

मैडम, हमारी पुलिस वालों ने, जो पंजाब में टेररिजम का जोर था, उसे खतम किया है । सरदार बेअंत सिंह की रहनुमाई में हमारी पंजाब की पुलिस ने बहुत बड़ा कोऑपरेशन दिया है, हिन्दुस्तान ने एक नई करवट ली है अमन और शांति के लिए । इसके लिए हम राव साहब को मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने एक अच्छे आदमी को पंजाब में भेजकर एक शांति का माहौल बनाया है । अगर हमारी पुलिस वालों के साथ दूसरी स्टेट वाले कोऑपरेशन नहीं देंगे ।

3.00 P.M.

तो मैं समझता हूं कि कल दूसरी स्टेटों में भी ऐसा हो सकता है और फिर हमारी पुलिस भी उनको कोपरेशन नहीं देगी । तो मेरी आपसे अर्ज है कि जिन लोगों ने नालायकी, कोताही अपनी ड्यूटी में की है, उनको सख्त सजा देनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और मैं समझता हूं कि यू॰ पी॰ के जो गवर्नर हैं, वे एक ऐसे गवर्नर हैं, वह किसी का ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं । पिछले महीने मैं गया . . .

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : प्लीज, विषयान्तर मत करिए । इसी घटना तक अपने को रहने दीजिए, विषयान्तर मत करिए ।

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण : मैडम साहिबा जी, रेलिवेंट है यह और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से हमारे वहां पर आदमी हैं जिन पर पुलिस वालों ने नाजायज मामले टाडा के बनाए हुए हैं । मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसा माहौल न पैदा होने दीजिए, न ही हम ऐसा काम करना चाहते हैं । हमारी सरकार अमन और शांति चाहती है और हम भी चाहते हैं और हम सब भाई-भाई हैं । इसलिए जिन्होंने ड्यूटी पर होते हुए काम ठीक से नहीं किया, उनके खिलाफ फौरन एक्शन लेना चाहिए और हाउस में बताना चाहिए । यही मेरी आपसे दरख्वास्त है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : कुमारी सरोज खापर्डे, आप संबद्ध करना चाह रही हैं अपने आपको ?

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : मैं अपने आपको इससे संबद्ध करती हूं । जिस बात पर यहां चर्चा हो रही है, पंजाब के एक पुलिस आफिसर के साथ, उसके परिवार के लोगों के साथ और खासकर के महिलाओं के साथ जो घटना हुई, उस घटना की हम सब लोग भर्त्सना करते हैं, निन्दा करते हैं और अपने आपको इसके साथ संबद्ध करते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : उपसभाध्यक्ष महोदय, हम भी अपने आपको इससे संबद्ध करते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : देखिए, तथ्य बहुत विस्तार से इस घटना के इस सदन में रख दिए गए हैं । जहां तक अलग-अलग संबद्ध करने का प्रश्न है, मुझे लगता है कि यह एक ऐसी घटना है जिसकी भर्त्सना पूरे सदन को करनी चाहिए और जहां तक संबद्ध करने का प्रश्न है, समेत मेरे पूरा सदन अपने आपको इससे संबद्ध करता है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है ।

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : ऐसे वाकयात हमारे मुल्क के नाम पर बदतरीन धब्बे हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : बिल्कुल, कलंक हैं ।

Decline in Small Savings Collection

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI (Gujarat) : Madam, I want to draw the attention of the Government to the decline in the small savings collection. For most of the States the major source of revenue is small savings. Not only that, the States also engaged their machineries in the small savings collections. But we find that since 1990 the incentives which were given in respect of Indira Vikas Patra and Kisan Vikas Patra under Sections 88 and 80 L of the Income Tax Act have been withdrawn by the Government and, as a result, the sources of investment have declined and the investors are also not getting attracted towards small savings. I can even cite the Gujarat's instance. In Gujarat, against the Budgetary estimate of